बोर्ड का अधिकार पत्र

बोर्ड के अधिकार पत्र का औपचारिक विवरण जिसमें बोर्ड तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के विशिष्ट निदेशकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व परिभाषित किये गये हैं.

डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिये निगम के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 3.5 में निम्न प्रावधान किये गये हैं :

'बोर्ड अपना काम सुचारु रूप से कर सके इसके लिये बोर्ड तथा प्रबंधन के बीच इनकी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों का विभाजन आवश्यक है. बोर्ड द्वारा निगम के सुचारु संचालन के लिये स्पष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिये जिसमें बोर्ड तथा विशिष्ट निदेशकों के बीच उनकी भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को स्पष्टत: परिभाषित किया गया हो.'

मुख्य सार्वजिनक अधिकारी के रूप में बोर्ड कंपनी के मामलों के सुचारु संचालन के लिये उत्तरदायी है. साथ ही उसे अपने अंशधारकों के लिये कीमतों का सृजन भी करना है अतः सुशासन संचालन की सबसे प्रमुख आवश्यकता बोर्ड, बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी / अध्यक्ष तथा प्रशासनिक अधिकारपत्र के अंतर्गत अन्य निदेशकों की भूमिका, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, तथा अधिकार क्षेत्र की पहचान स्पष्ट करना है. इसी के अनुरूप, डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिये निगम संचालन संबंधी दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 3.5 में यह प्रस्तावित है कि बोर्ड द्वारा निगम के संचालन के लिये औपचारिक वक्तव्य सुनिश्चित हो जिसमें बोर्ड तथा इसके विशिष्ट निदेशकों की भूमिका तथा उत्तरदायित्वों को परिभाषित किया गया हो.

बोर्ड के दायित्व :

कंपनी एक्ट 1956 के अनुच्छेद 291 (1) में बोर्ड के सामान्य अधिकारों तथा उन पर प्रतिबंधों का प्रावधान है. इसमें कहा गया है कि कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अधीन किसी कंपनी का निदेशक मंडल ऐसे सभी अधिकारों को अमल में ला सकेगा और ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जिनके लिये कंपनी अधिकृत है बशर्ते कि बोर्ड ऐसे अधिकारों का उपयोग न करे अथवा ऐसा कोई कार्य न करे जो कंपनी के ज्ञापन अथवा नियमावली के इस एक्ट अथवा अन्य किसी एक्ट से निर्देशित अथवा वांछित हो और कंपनी दवारा आम सभा में किसी भी रूप में इस्तेमाल में लाया जा रहा हो.

इसके साथ ही कंपनी एक्ट 1956 के अनुच्छेद 292 (1) में इस बात का प्रावधान है कि बोर्ड कुछ अधिकारों का इस्तेमाल केवल बैठकों में कर सकेगा. ये अधिकार इस प्रकार हैं :

- (ए) जिन शेयरहोल्डरों ने अपने शेयर्स का पैसा अदा नहीं किया है, उन्हें इस संबंध में फोन करने का अधिकार.
- (ए ए) शेयर्स के बाइबैक को अधिकृत करने का अधिकार.
- (बी) डिबेंचर्स जारी करने का अधिकार
- (सी) डिबेंचर्स के अलावा भी धन उधार लेने का अधिकार.
- (डी) कंपनी के फंडस का निवेश करने का अधिकार, और
- (ई) ऋण ले सकने का अधिकार.

इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान तथा स्पष्टीकरण बोर्ड को इस बात का अधिकार देते हैं कि वह बोर्ड की बैठक में पास किये गये प्रस्तावों के जरिये उक्त में से कुछ अधिकार-(सी), (डी) और (ई) कुछ अन्य पदाधिकारियों को सौंप दे.

इसके अलावा, कंपनी एक्ट 1956 की धारा 293 (1) बोर्ड के कुछ अधिकारों को प्रतिबंधित करती है. इन्हें कंपनी की आमसभा में अनुमति प्राप्त किये बिना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

अध्यक्ष / अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (सीएमडी) तथा अन्य निदेशकों की नियुक्ति :

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के संस्था की नियमावली के धारा 78 (2) के अनुसार: बोर्ड के अध्यक्ष सहित सभी निदेशकों तथा प्रबंध निदेशक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और वे उस वेतन, पारिश्रमिक, भत्ते, यात्रा भत्ते, छुट्टी, भविष्य निधि, इलाज तथा अन्य स्विधाओं के हकदार होंगे जो उनकी नियुक्ति के समय या उसके बाद सुनिश्चित किये जाएंगे.

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक तथा वैयक्तिक निदेशकों के दायित्व :

1. अंशकालिक अध्यक्ष:

अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति निदेशक मंडल की सहायता तथा विविध संबंधित मामलों में मार्गदर्शन के लिये फिल्म उद्योग में से की जाती है. अंशकालिक अध्यक्ष बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करता है और बोर्ड द्वारा समय समय पर जो विचार विमर्ष किये जाते हैं तथा जो निर्णय लिये जाते हैं, उनके लिये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है. लेकिन अंशकालिक अध्यक्ष कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता क्योंकि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन कंपनी एक्ट के अंतर्गत निदेशक मंडल में निहित है. अंशकालिक अध्यक्ष के उत्तरदायित्व डीपीई के परिपत्र सं.18(2)/82-जीएम ॥ दिनांक 18 दिसंबर 1982 में वर्णित हैं.

2. पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशक:

ए. प्रबंध निदेशक

प्रबंध निदेशक निगम का मुख्य अधिशासी होता है जो इसके निदेशक मंडल तथा भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है. निगम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किये जाने वाले कार्यकलापों का उत्तरदायित्व भी उसी का होता है. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार तथा कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार साल दर साल के लिये जो अनुबंध बढ़िया काम के मापदंडों के प्रदर्शन के लिये किया जाता है उस पर खरा उतरने का दायित्व भी उसी का होता है.

बी. निदेशक (वित्त).

निदेशक वित्त निदेशक मंडल का सदस्य होता है और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है. वह संस्था के कुल वित्तीय तथा लेखाओं का प्रभारी होता है. वित्त तथा लेखा संबंधी नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना उसी के कार्यों के अंतर्गत आता है.

3. अंशकालिक स्वतंत्र निदेशक:

निगमीय प्रशासन के सुचारु संचालन के लिये बोर्ड का स्वतंत्र रहना आवश्यक है, जैसा कि डीपीई दिशा निर्देशों संख्या 18(8)/2005-जीएम, दिनांक 14 मई 2010 में निर्देष्ट है. यह उद्देश्य पूर्ण कर सकने की संभावना पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से ही संभव हो सकती है. इसी के अनुरूप भारत सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है. इन स्वतंत्र निदेशकों को उस तरह के प्रशासकीय अधिकार अथवा उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाते जैसे पूर्णकालिक क्रियाशील निदेशकों को दिये जाते हैं. जब कभी बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है तब वे इसमें तथा बोर्ड समितियों की उन अन्य बैठकों में भाग लेते हैं जिनके लिये उन्हें बोर्ड द्वारा सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है.

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति और उनकी भूमिका को अंशधारकों तथा अन्य सभी हिस्सेदारों के हितों की रक्षा करने तथा बोर्ड के सामने आने वाले सभी तरह के मामलों के फैसलों, जांच पड़ताल, कार्य निष्पादन में निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठा बनाये रखने के रूप में देखा जाता है. चूंकि स्वतंत्र निदेशक विविध क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, अतः निर्णय क्षमता की गुणवत्ता तथा निगमित प्रशासनिक क्षमता को अधिक व्यापक दृष्टिकोण मिलते हैं. स्वतंत्र निदेशक निदेशक मंडल द्वारा समय समय पर लिये जाने वाले निर्णयों तथा कार्यकलापों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं.

4. अंशकालिक अधिकारी / सरकारी निदेशक:

वर्तमान समय में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड में दो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई है. ये सरकार का, जो सबसे बड़ी अंशधारक है, प्रतिनिधित्व करते हैं. सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों के पास पूर्णकालिक कार्यशील निदेशकों की तरह प्रशासकीय अधिकार नहीं होते. जब कभी बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है तब वे इसमें तथा बोर्ड समितियों की उन अन्य बैठकों में भाग लेते हैं जिनके लिये उन्हें बोर्ड द्वारा सदस्य अथवा अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है.

अंशकालिक आधिकारिक निदेशकों की भूमिका तथा दायित्व, अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों के समान ही होते हैं.